रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929
No. 1539] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2125(अ).—जबकि, पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के तहत दून घाटी, उत्तराखण्ड में उन गतिविधियों जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव के परीक्षण के लिए अनुमति दे दी है, को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 1 फरवरी, 1989 के सं. का.आ. 102(अ) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना में उद्योगों को तीन श्रेणियों अर्थात् ग्रीन, ओरेंज और रेड में वर्गीकृत किया गया है और दून घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं;

और, जबकि, ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का मूल्यांकन राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना तथा उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने से पहले संबंधित प्रस्ताव को केन्द्र सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाना अपेक्षित है;

और, जबकि, यह परिकल्पना की गई थी कि ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रस्तावों के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि दिनांक 4 जुलाई, 2005 के का.आ. 943(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय अपनाई जाती है;

और, जबकि, दिनांक 27 जनवरी, 1994 के का.आ. 60(अ) के तहत जारी उक्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1533(अ) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित हुआ माना जाएगा;

अतः, अब, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, यह निर्देश दिया जाता है कि दून घाटी, उत्तराखंड में विकास कार्यों से संबंधित सभी प्रस्तावों की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए जांच की जाएगी :—

(i) ऐसी सभी परियोजनाएं जो 14 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1533(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत अनुसूची में शामिल की गई हैं, के लिए उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी ।

(ii) ऐसी सभी परियोजनाएं जो उक्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, और ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आती हैं उन पर राज्य स्तर के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

(iii) उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन होने तक, प्रस्तावों की जांच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, उन्हें मूल्यांकन समिति के पास भेजे बिना, केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी ।

[सं. जे-11013/25/2005-आई ए-II (1)]

रा. आनन्दकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the, 13th December, 2007

S.O. 2125 (E).—Whereas, a notification under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection)

Rules, 1986, imposing restrictions on various activities in Doon Valley Uttarakhand, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts, was issued *vide* No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989;

And, whereas, the said notification classified industries into three categories; namely, green, orange and red and also prescribed guidelines for permitting and restricting industrial units in Doon Valley Area;

And, whereas, industries falling in the orange category are required to be assessed by State Pollution Control Board and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before granting 'No Objection Certificate';

And, whereas, it was envisaged that the proposals covered under orange category shall follow the same procedure as is being followed for the environment clearance of industry sector projects under Environment Impact Assessment Notification, 1994, issued *vide* S.O. 943(E) dated the 4th July, 2005;

And, whereas, the said Environment Impact Assessment notification issued *vide* S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 has been superseded by the notification *vide* number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it is hereby directed that all proposals, relating to development in Doon Valley will be examined as per the following procedure :—

(i) All those projects which are covered in the schedule under the Environment Impact Assessment notification issued *vide* number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 will follow the procedure laid down in that notification.

(ii) All those projects which are not covered under the EIA notification but which fall under the orange category shall be considered by the State level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Till such time as the State level Impact Assessment Authority is constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board.

[No. J-11013/25/2005-IA-II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.